कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड

शीरा अनुभाग

उप आबकारी आयुक्त
(कार्मिक एवं अधिष्ठान)
कृते आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

क0सं0	विभागीय नियमों विधियों/ शासनादेश/कार्यालय ज्ञापः संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	629/11 जनवरी, 2001	राज्य /अन्य प्रदेशों के द्वारा शीरा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में शीरे की दर निर्धारण विषयक अधिसूचना	1
2.	630/दिनांक जनवरी 12, 2001	शीरा वर्ष 2000–2001 की शीरा नीति निर्धारण	2
3.	10688–97/ दिनांक नवम्बर, 22, 2001	शीरे का प्रदेश के बाहर विक्रय न किये जाने के सम्बन्ध मे।	3
4.	12288–97/ दिनांक जनवरी, 15, 2002	शीरे को प्रदेश के बाहर विक्रय किया जाना एवं शीरा नीति शीरा वर्ष 2000–2001 ही शीरा वर्ष 2001–2002 में यथावत रहेगी के सम्बन्ध मे।	4
5.	14380 /दिनांक फरवरी 19,2002	शीरा नीति 2001–2002 निर्धारण	5
6.	24/दिनांक जनवरी 10/14, 2002	राज्य /अन्य प्रदेशों के द्वारा शीरा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में शीरे की दर निर्धारण विषयक अधिसूचना	6
7.	131/दिनांक 11 फरवरी, 2002	शीरा नीति 2002–2003 निर्धारण	7–8
8.	163/ दिनांक 21, फरवरी, 2003	राज्य /अन्य प्रदेशों के द्वारा शीरा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में शीरे की दर निर्धारण विषयक अधिसूचना	9
9.	164/ दिनांक 31, दिसम्बर, 2003	शीरा नीति शीरा वर्ष 2003–04 निर्धारण	10
10	1447/दिनांक 28 सितम्बर, 2004	राज्य में कैटिल फीड निर्माताओं के शीरा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे।	11
11.	717–726/दिनांक 10 मार्च, 2005	शीरे की बिक्री/निर्यात विषयक	12–13
12.	357/ दिनांक 11 मार्च, 2005	शीरा नीति शीरा वर्ष 2004–05 निर्धारण	14–15
13.	139/दिनांक 27, जनवरी, 2006	शीरा नीति शीरा वर्ष 2005–06 निर्धारण	16 –17
14.	220/ दिनांक 22 फरवरी, 2006	शीरा नीति शीरा वर्ष 2005–06 निर्धारण का (पूरक)	18
15.	16/दिनांक 05 जनवरी, 2007	शीरा नीति शीरा वर्ष 2006–07 निर्धारण	19 – 20
16.	01/दिनांक 18 फरवरी, 2008	कार्यालयः ज्ञाप	21–22
17.	722/दिनांक 20 अक्टूबर, 2009	70 प्रतिशत अंश को देशी मदिरा में कन्वरजन के सम्बन्ध मे।	23
18	429/XXIII/2013/04 (42)/2011 देहरादूनः दिनांक 20, जून, 2013	शीरा नीति शीरा वर्ष 2012–13 व आगामी शीरा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में	24–26

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 11 जनवरी, 2001

पौष 21, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल सरकार

आबकारी विभाग

संख्या 629/शी०–प्र०प्र०

देहरादून, 11 जनवरी, 2001

अधिसूचना

सा० प० नि०–001

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) की धारा 8 की उप धारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से किसी चीनी मिल का अध्यासी, राज्य के बाहर निर्यात के प्रयोजन के लिए अपने द्वारा बेचे गये या संभरित किये गये किसी श्रेणी के शीरे पर निम्नलिखित दरों से राज्य सरकार को प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करने के लिए दायी होगा:–

1.	उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरा, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों द्वारा क्रय किये जाने पर।	5.00 रूपये (पाँच रूपये) प्रति कुंतल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।
2.	अन्य प्रदेशों के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा क्रय किये जाने पर।	15.00 रूपये (पन्द्रह रूपये) प्रति कुंतल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।

आज्ञा से,
सुभाष कुमार,
सचिव,
आबकारी,
उत्तरांचल शासन।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 1 आबकारी/607–2001–50 (कम्प्यूटर)।

५५ ②

संख्या 630 /शी0नी0/2000-2001/उत्तरांचल,

संयुक्त आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून ।

आबकारी विभाग देहरादून: दिनांक: जनवरी 12, 2001.

विषय:- शीरा वर्ष 2000-2001 के लिए नीति निर्धारण ।

महोदय,

उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2000-2001 में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि:-

1- चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे में से 90 प्रतिशत शीरे को बिक्री हेतु नियंत्रण मुक्त रखा जाय तथा वर्तमान शीरा वर्ष में दिनांक 31 मार्च 2001 तक उत्पादित शीरे का 10 प्रतिशत देशी मदिरा की आपूर्ति के लिए आरक्षित रखा जाय ।

2- शीरा वर्ष 2000-2001 में प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे के 10प्रतिशत अंश को प्रदेश से बाहर निर्यात के लिये पूर्ण छूट रहेगी ।

3- उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरा उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों द्वारा क्रय किये जाने पर रू0 5/= प्रति कुंतल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा ।

4- .... अन्य प्रदेशों के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा क्रय किये जाने पर रू0 15/= प्रति कुंतल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा ।

अतः उपरोक्त निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा (8) की उपधारा (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत 10प्रतिशत शीरे को 31 मार्च 2001 तक देशी मदिरा आपूर्तक आसवनियों के लिये आरक्षित रखते हुए शेष 90प्रतिशत शीरे की बिक्री हेतु जिसमें अन्य राज्य को निर्यात भी सम्मिलित है, नियंत्रण मुक्त करते हुए आदेश निर्गत करने का कष्ट करें ।

(सुभाष कुमार)
सचिव

(3)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या 10688-97/प्राविधिक/शीरा नीति/2001-02/देहरादूनः दिनांकः नवम्बर 22, 2001

समस्त अध्यासी,
चीनी मिलें,
उत्तरांचल।

विषयः- शीरे को प्रदेश के बाहर विक्रय नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जैसाकि विदित ही है कि शासन स्तर पर शीरा वर्ष 2001-2002 की शीरा नीति विचाराधीन है, जो शीघ्र ही घोषित की जायेगी। एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि शीरा नीति घोषित होने तक प्रदेश के बाहर शीरे का निर्यात बिना आयुक्तालय की अनुमति के न किया जाये। प्रदेश में शीरे की बिक्री शीरा आधारित उद्योगों को पूर्ववत की जा सकती है। शीरे का प्रदेश के बाहर निर्यात शीरा नीति घोषित होने के बाद ही, नीति के अनुरूप नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये।

22/11
(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

संख्या 10698-10710/प्राविधिक/शीरा नीति/2001-02/तददिनांक

प्रतिलिपिः-

1. जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त उप आबकारी निरीक्षक चीनी मिलों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

22/11
(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

(5) (74)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून ।

संख्या 12288-97 /प्राविधिक/शीरा नीति/2001-02/देहरादून:दिनांक:जनवरी 15,2002

समस्त अध्याशी,
चीनी मिलें
उत्तरांचल ।

विषय:- शीरे को प्रदेश के बाहर विक्रय करने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के आदेश संख्या 10688-97/प्राविधिक/शीरा-नीति/2001-02/देहरादून: दिनांक: नवम्बर 22, 2001 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा गत वर्ष 2000-01 की शीरा नीति में उल्लिखित प्रदेश के बाहर शीरा बिक्री की व्यवस्था यथावत रहेगी ।

11/1/2002

(चन्द्र सिंह)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल ।

संख्या 12298-12313 /प्राविधिक/शीरा नीति/2001-02/तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर ।
2. जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर ।
3. समस्त उप आबकारी निरीक्षक चीनी मिलें उत्तरांचल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

11/1/2002

(चन्द्र सिंह)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल ।

10.1.2002

5

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून ।

संख्या 14380/शीरा-नीति(185)/2001-2002/देहरादून:दिनांक:फरवरी 19, 2002

आदेश

वर्ष 2001-2002 की शीरा नीति के सम्बन्ध में जारी इस कार्यालय के आदेश संख्या 1419/एस0टी0/शीरा-नीति (185)/2001-2002/देहरादून:दिनांक: जनवरी 16, 2002 के तारतम्य में उत्तरांचल स्थित चीनी मिलों से शीरे की बिक्री की स्थिति स्पष्ट करते हुये निम्न निर्देश दिये जाते है:-

1. उत्तरांचल की चीनी मिलों द्वारा उत्तर प्रदेश में शीरे की आपूर्ति केवल शीरा आधारित रसायनिक उद्योगों को ही की जा सकेगी ।
2. गतवर्ष के लिये देशी मदिरा के लिये शीरे के आरक्षण के सापेक्ष जो शीरा 31.1.2002 तक प्रदेश की आसवनियों द्वारा नही उठाया गया है, उसे भी वर्ष 2001-2002 की नीति के संदर्भ में खुली बिक्री के कोटे में सम्मलित कर लिया जाये ।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

19.2.2002

(चन्द्र सिंह)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या 14381-14435/शीरा-नीति(185)/2001-2002/देहरादून:तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, आबकारी उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल ।
4. समस्त चीनी मिलें/आसवनियां, उत्तरांचल ।
5. समस्त उप/आबकारी निरीक्षक चीनी मिलें/आसवनियां, उत्तरांचल ।

19.2

(धीरेन्द्र वर्मा)
संयुक्त आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल देहरादून।

18.2

~CR2-641837

(6)

उत्तरांचल सरकार

आबकारी विभाग

संख्या 25/शी0-प्र0प्र0/ शीरा/185-शीरा/2002

देहरादून: दिनांक: जनवरी ~~10~~ 14, 2002

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-24, सन् 1964) की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से किसी चीनी मिल का अध्याशी, राज्य के बाहर निर्यात के प्रयोजन के लिए अपने द्वारा बेचे गये या संभरित किये गये किसी श्रेणी के शीरे पर निम्नलिखित दरों से राज्य सरकार को प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करने के लिए दायी होगा:-

1.	उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरा, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों द्वारा क्रय किये जाने पर।	5.00 रूपये (पांच रूपये) प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।
2.	अन्य प्रदेशों के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा क्रय किये जाने पर।	15.00 रूपये (पन्द्रह रूपये) प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।

आज्ञा से

11/1/2002

(चन्द्र सिंह)

सचिव, आबकारी,

उत्तरांचल शासन।

(7)

संख्या:- 131 /आब./01/2002-2003-टी.सी.

प्रेषक,

बी. सी. चन्दोला,

सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तरांचल, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादून: दिनांक:: 11 फरवरी, 2003

विषय:- शीरा वर्ष 2002-03(1 नवम्बर,2002 से 31 अक्टूबर, 2003) के लिए शीरा नीति का निर्धारण

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1023/ आब./ 202/ 2002 दिनांक 31 दिसम्बर,2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2002-03 में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि:-

1. शीरा वर्ष 2002-03में प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे के 10 प्रतिशत अंश को प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट रहेगी।
2. शीरा वर्ष 2002-03 में उत्पादित शीरे में से 10 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल के देशी मदिरा निर्माताओं को आपूर्ति हेतु आरक्षित रखा जायेगा।
3. शेष 80 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/ अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगा। चीनी मिलों द्वारा उत्पादित मदिरा हेतु आरक्षित 10 प्रतिशत शीरे के नियमित उठान हेतु यह ब्यवस्था की गयी है कि पेय मदिरा निर्माण करने वाली आसवनियाँ अपने निर्धारित एम. जी. क्यू. को प्रत्येक त्रैमास के कोटे के सापेक्ष्य शीरे की वांछित मात्रा को उसी अवधि में चीनी मिलों से उठान करेगी और यदि निर्धारित अवधि में आसवनियाँ अपने देशी मदिरा क कोटे के अनुरुप शीरे

की मात्रा का उठान नहीं करती है, तो उस अवशेष शीरे की मात्रा को शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित घोषित किया जा सकेगा और इसे उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश के शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु अवमुक्त कर दिया जायेगा।

4. उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरा उत्तरांचल के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्रय किए जाने वाले शीरे पर देय प्रशासनिक शुल्क की वर्तमान प्रचलित दर रु. 5/= प्रति कुन्टल के स्थान पर रु. 8/= प्रति कुन्टल की दर से वसूल की जायेगी तथा अन्य प्रदेशों के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा शीरा क्रय किए जाने पर वर्तमान प्रचलित दर रु. 15/= प्रति कुन्टल के स्थान पर 20/= प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।
5. शीरा वर्ष 2002-03 के लिए घोषित नीति अगले शीरा वर्ष में यथावत तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि वर्ष 2003-04 के लिए शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

11/7/2003

(बी. सी. चन्दोला)

सचिव।

(9)

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः 163 /आब./01/2003
देहरादूनः दिनांकः: 21 फरवरी,2003

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904)की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा अधिनियम 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 1964) (यथा उत्तरांचल में लागू) की धारा 8 की उप धारा (4) के अधीन, शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल अधिसूचित करते है कि 01 नवम्बर, 2002 से राज्य की वर्ष 2003-2004 की शीरा नीति घोषित होने तक किसी चीनी मिल का अध्यासी राज्य के अन्दर (उत्तर प्रदेश)तथा राज्य के बाहर निर्यात के प्रयोजन के लिए अपने द्वारा बेचे गये या संभरित किए गए किसी श्रेणी के शीरे पर निम्नलिखित दरों से राज्य सरकार को प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगाः-

1.	उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरा उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों द्वारा क्रय किए जाने पर।	8.00 रुपये (आठ रुपये)प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।
2.	अन्य प्रदेशों के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा क्रय किए जाने पर।	20.00 रुपये(बीस रुपये) प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(बी. सी.चन्दोला)
सचिव,
आबकारी, उत्तरांचल शासन।

(16)

संख्या 464 आब / 03 / 2003–04

प्रेषक,

बिपिन चन्द्र चन्दोला,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल,
देहरादून।

आबकारी अनुभाग — देहरादून, दिनांक 31 दिसम्बर, 2003

विषयः– शीरा वर्ष 2003–04 (01 नवम्बर, 2003 से 31 अक्टूबर, 2004 तक) के लिए शीरा नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2003–04 में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है–

1. शीरा वर्ष 2002–03 में प्रत्येक चीनी मिल को उनके द्वारा उत्पादित शीरे में से 20 प्रतिशत अंश का प्रदेश से वाहर निर्यात करने की छूट प्रदान कर दी जाय।
2. शीरा वर्ष 2003–04 में उत्पादित शीरे में से प्रत्येक चीनी मिल को उत्पादित शीरे के 20 प्रतिशत अंश को प्रदेश से वाहर निर्यात करने की छूट रहेगी।
3. शीरा वर्ष 2003–04 में उत्पादित शीरे में से 10 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल के देशी शराब निर्माताओं को पूर्व वर्ष के प्रतिबन्धों के अधीन आपूर्ति हेतु आरक्षित रखा जायेगा।
4. शेष 70 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/अल्कोहल आधारित, रासायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगा।
5. वर्ष 2003–04 के लिए शीरे से सम्बन्धित अन्य सभी शर्तें एवं प्रतिबन्ध शीरा वर्ष 2002–03 के अनुसार प्रभावी रहेंगी तथा शीरा वर्ष 2003–04 के लिए घोषित नीति अगले शीरा वर्ष में यथावत् तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि वर्ष 2004–05 के लिए शीरा नीति घोषित नहीं कर दी जाती है।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
सचिव।

संख्या 1557 /XXIII/01/51/2004

प्रेषक

सी०सी०चन्दोला,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादून:दिनांक:सितम्बर 29,2004

विषय : उत्तरांचल राज्य में स्थित कैटिल फीड निर्माताओं को शीरा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि उत्तरांचल राज्य में स्थित कैटिल फीड निर्माताओं के द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि शीरा वर्ष 2003–04 के लिए घोषित शीरा नीति के अन्तर्गत उत्पादित शीरे में से 10 प्रतिशत अंश शीरा देशी मदिरा निर्माताओं के लिए, 20 प्रतिशत शीरा निर्यात के लिए तथा 70 प्रतिशत अंश उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योंगो के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, जिसमें उनके लिए शीरा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था नहीं रखी गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य में स्थित कैटिल फीड निर्माताओं को उनके उत्पादन के लिए अपेक्षित शीरा शासनादेश संख्या 1464/आब/02/2003–04 दिनांक 31.12.2003 में प्राविधानित उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु निर्धारित 70 प्रतिशत अंश में से ही उपलब्ध कराया जाय। कृपया तद्नुसार समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी०सी०चन्दोला)
सचिव

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

133

(12)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

पत्रांक 717-726 /तीन–वितरण–शीरा/2004–05 दिनांक:देहरादून मार्च 10, ,2005

अध्यासी,
समस्त चीनी मिलें,
उत्तरांचल।

विषय : शीरे की बिक्री/निर्यात किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 (यथा संशोधित), जो उत्तरांचल में उपान्तरित एवं अनुकूलित किया जा चुका है, में शीरे की बिक्री के लिए धारा–8 के अन्तर्गत निम्न प्रविधान हैं:–

Sale and supply of molasses.

8-(1) The controller [may, with the prior approval of the State Government, by order require] the occupier of any sugar factory to "sell or supply" in the prescribed manner such quantity of molasses to such person, as may be specified in the order, and the occupier shall, notwithstanding any contract, comply with the order.

Provided that such quantum of molasses as is not required by the said chemical industries may be sold or supplied by the occupier of the sugar factory to any other unit which is actual users of molasses with the prior approval of the controller.

(2) The order under sub section (1)-

(a) shall require supply to be made only to a person who requires it for his distillery or for any purpose of industial development;

शीरा अधिनियम की उक्त धाराओं की व्यवस्थाओं/प्राविधानों के अनुसार ही राज्य की चीनी मिलों से शीरे की बिक्री एवं निर्यात हेतु शीरे का आबंटन इसके वास्तविक उपभोक्ताओं (बोनाफाइड कंज्यूमर्स आफ मोलासिस) को ही बिकय/निर्यात हेतु अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि बिना शीरा नियंत्रक (आबकारी आयुक्त) की पूर्वानुमति के शीरा निर्यात की अनुमति न दी जाय।

उक्त आदेशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10/3/2005

शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून

संख्या 727-748/ तीन-वितरण-शीरा-24/2004-05 तद्दिनांक 10 मार्च 2005

(13)

प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री, उत्तरांचल शासन को सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. सचिव, आबकारी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5. गन्ना आयुक्त, उत्तरांचल, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
6. नोडल अधिकारी, उत्तरांचल शुगर्स, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
9. समस्त उप आबकारी निरीक्षक, चीनी मिलें, उत्तरांचल।

O/C

10/3/2005

(बी0सी0चन्दोला)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून

(14)

संख्या: 357 / XXIII / 05 / 02 / 2003-04

प्रेषक,

बिपिन चन्द्र चन्दोला
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेंवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल,देहरादून।

आबकारी अनुभाग — देहरादून: दिनांक:: 11 मार्च, 2005

विषय:: **शीरा वर्ष 2004-05 (01नबम्बर, 2004 से 31 अक्टूबर, 2005 तक) के लिए शीरा नीति का निर्धारण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2004-05 में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है-

1- शीरा वर्ष 2004-05 में उत्पादित शीरें में से प्रत्येक चीनी मिल को उनके द्वारा उत्पादित शीरे के 20 प्रतिशत अंश को प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट रहेंगी।

2- शीरा वर्ष 2004-05 में उत्पादित शीरें में से 10 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल के देशी शराब निर्माताओं को पूर्व वर्ष के प्रतिबन्धों के अधीन आपूर्ति हेतु आरक्षित रखा जायेगा।

रजिस्टर

3- शीरा वर्ष 2004-05 में उत्पादित शेष 70 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/ अल्कोहल आधारित रसायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगा।

4- शीरा वर्ष 2004-05 के लिए शीरा से सम्बन्धित अन्य सभी शर्ते एवं प्रतिबन्ध शीरा

क्रमश: पेज.......2/-

DY EC (P&D)

11.3.05

15

वर्ष 2003–04 के अनुसार प्रभावी रहेगी तथा शीरा वर्ष 2004–05 के लिए घोषित नीति अगले शीरा वर्ष में यथावत् तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि शीरा वर्ष 2005–06 के लिए शीरा नीति घोषित नहीं कर दी जाती है।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

5/3/2005

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
सचिव ।

(16)

संख्या– 134 /XXIII/06/87/2005

प्रेषक,

नवीन चन्द्र शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल,
देहरादून।

आबकारी अनुभाग   देहरादून: दिनांक :: 27 जनवरी, 2006

विषय– शीरा वर्ष 2005–06 (01 नवम्बर, 2005 से 31 अक्टूबर, 2006 तक) के लिए शीरा नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2005–06 में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि–

1– गत वर्ष की शीरा नीति के अनुरूप शीरा वर्ष 2005–06 में उत्पादित शीरे में से 10 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल के देशी शराब निर्माताओं को पूर्व वर्ष के प्रतिबन्धों के अधीन आपूर्ति हेतु आरक्षित रखा जायेगा।

2– गत वर्ष की शीरा नीति के अनुरूप शीरा वर्ष 2005–06 में भी प्रत्येक चीनी मिल को उनके द्वारा उत्पादित शीरे के 20 प्रतिशत अंश को प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट रहेगी।

3– गत वर्ष की शीरा नीति के अनुरूप शीरा वर्ष 2005–06 में भी कुल उत्पादित शीरे का 70 प्रतिशत भाग उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगा।

4– उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरा उत्तरांचल के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्रय किये जाने वाले शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की

क्रमशः पेज– 2/–

वर्तमान प्रचलित दर रू0 8/— मात्र प्रति कुन्टल के स्थान पर रू0 11/— मात्र प्रति कुन्टल की दर से वसूल की जायेगी तथा अन्य प्रदेश के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा शीरा क्रय किये जाने पर वर्तमान प्रचलित दर रू0 20/— मात्र प्रति कुन्टल के स्थान पर रू0 15/— मात्र प्रति कुन्टल की की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।

5— प्रदेश में उत्पादित निर्यात मद का शीरा चीनी मिलें अगले शीरा वर्ष के माह जनवरी तक बेचने में यदि असफल रहती है तो इस मद के शीरे को प्रदेश के रासायनिक उद्योगों को दिया जा सकेगा, जिस पर प्रशासनिक प्रभार रू0 11/— मात्र की दर से ही देय होगा।

6— शीरा वर्ष 2005—06 के लिए घोषित नीति से सम्बन्धित अन्य सभी शर्तें एवं प्रतिबन्ध शीरा वर्ष 2004—05 के अनुसार प्रभावी रहेंगे तथा अगले शीरा वर्ष में यथावत तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि वर्ष 2006—07 के लिए शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव।

संख्या-220/XXIII/06/87/2005 (18)

गोबिन्द बल्लभ ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल,
देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 22 फरवरी, 2006

विषय– शीरा वर्ष 2005–06 (01नवम्बर, 2005 से 31अक्टूबर, 2006 तक) के लिए शीरा नीति का निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 02 फरवरी, 2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा नीति वर्ष 2005–06 के लिए जारी शासनादेश संख्या– 139/ XXIII/06/87/2005, दिनांक 27.01.2006 में की गई व्यवस्थानुसार स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है–

1– शीरा वर्ष 2004–05 का शासनादेश दिनांक 11.03.2005 को जारी हुई थी, के बिन्दु–4 में यह व्यवस्था थी कि अगले शीरा वर्ष में यथावत तब तक रहेगी, जब तक कि वर्ष 2005–06 के लिए शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

2– शीरा वर्ष 2005–06 के लिए घोषित शीरा नीति का शासनादेश जारी होने के दिनांक से प्रभावी होगा।

3– शीरा वर्ष 2005–06 के प्रस्तर–5 में यह व्यवस्था है कि प्रदेश में उत्पादित निर्यात मद का शीरा चीनी मिलें अगले शीरा वर्ष के माह जनवरी तक बेचने में यदि असफल रहती हैं तो इस मद के शीरे को प्रदेश के रासायनिक उद्योगों को दिया जा सकेगा, जिस पर प्रशासनिक प्रभार रू0 11/– मात्र की दर से ही देय होगा। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए उल्लेख करना है कि अगले शीरा वर्ष का आशय शीरा वर्ष 2006–07 से है और शीरा वर्ष 2005–06 का शासनादेश ही दिनांक 27 जनवरी, 2006 को जारी किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार पुनः आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(गोबिन्द बल्लभ ओली)
संयुक्त सचिव।

(डा० के० वी० जौहरी)
प्रभारी अपर आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून

संख्याः 16 / XXIII / 2007 / 48 / 2006

94

19

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादूनः दिनॉकः 05 जनवरी, 2007।

विषय :– शीरा वर्ष 2006–07 के लिए शीरा नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2006–07 में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

1. शीरा वर्ष 2006–07 में उत्पादित शीरे में से 10 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल के देशी शराब निर्माताओं को आपूर्ति हेतु पूर्व वर्ष के प्रतिबन्धों के अधीन आरक्षित रखा जायेगा।

2. वर्ष 2006–07 में प्रत्येक चीनी मिल को उनके द्वारा उत्पादित शीरे के 20 प्रतिशत अंश को प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट होगी।

3. गत वर्ष की शीरा नीति के अनुरूप शीरा वर्ष 2006–07 में भी कुल उत्पादित शीरे का 70 प्रतिशत भाग उत्तरांचल की औद्योगिक एवं रासायनिक इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/ अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगा।

4. उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरा उत्तरांचल के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्रय किये जाने वाले शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की वर्तमान प्रचलित दर रू0 11/– मात्र प्रति कुन्टल की दर से ही वसूल की जायेगी तथा अन्य प्रदेश के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा शीरा क्रय किये जाने पर वर्तमान प्रचलित दर रू0 15/– मात्र प्रति कुन्टल की दर से ही प्रशासनिक शुल्क प्रभार देय होगा।

5. यदि आसवनियों द्वारा एक माह के अन्दर चीनी मिलों से शीरा नहीं उठाया जाता है तो निर्धारित समय के उपरान्त चीनी मिलों को यह अधिकार दे दिया जायेगा कि वे ऐसे शीरे को खुले बाजार में बेचने हेतु स्वतंत्र होगें।

9.1.2007
(डा० के० बी० जौहरी)

6. शीरा वर्ष 2006–07 के लिए घोषित शीरा नीति, शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

7. शीरा नीति 2006–07 के लिए घोषित नीति से सम्बन्धित अन्य सभी शर्तें एवं प्रतिबन्ध शीरा वर्ष 2005–06 के अनुसार प्रभावी रहेगें तथा अगले शीरा वर्ष 2007–08 में यथावत् तब तक प्रभावी रहेगीं, जब तक कि वर्ष 2007–08 के लिए शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

भवदीय,

5/1/07

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

(21)

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या: 01 / XXIII / 07 / 53 / 2007
देहरादून: दिनॉक: 13 · 02 · 2008

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या: 4466 ऑफ 2007 मै0 धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक: 24.09.2007 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964 (उत्तराखण्ड में रूपान्तरित एवं अनुकूलित) की धारा 3 में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए एतद्द्वारा शीरा परामर्श समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

01.	आबकारी आयुक्त (नियंत्रक)	अध्यक्ष
02.	उप आबकारी आयुक्त, शीरा	पदेन सदस्य
03.	उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से निम्न न हो	पदेन सदस्य
04.	गन्ना आयुक्त, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उप आयुक्त स्तर से निम्न न हो	पदेन सदस्य
05.	श्री एस0एम0मित्तल, मै0 राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड, लक्सर, जनपद– हरिद्वार	सदस्य
06.	श्री एस0 के0 भटनागर, वाईस प्रेसीडेन्ट, मै0 काशीपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, काशीपुर, जनपद–उधमसिंहनगर	सदस्य
07.	श्री उमराव सिंह, मैनेजिंग डाईरेक्टर, मै0 लक्ष्मी शुगर मिल्स लिमिटेड, इकबालपुर, जनपद–हरिद्वार	सदस्य
08.	श्री रामेश्वर हवेलिया, मै0 दूनवैली आसवनी, देहरादून	सदस्य
09.	श्री आई0 बी0 लाल, मै0 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड काशीपुर, जनपद–उधमसिंहनगर	सदस्य
10.	श्री सी0एम0 शर्मा, लाईजेनिंग मैनेजर, मै0 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड, काशीपुर, जनपद–उधमसिंहनगर	सदस्य
11.	श्री योगेश लोहिया, डाईरेक्टर, मै0 जगदम्बा लिक्यूफाईड स्टील लिमिटेड, रायपुर (भगवानपुर), रूड़की, जनपद–हरिद्वार	सदस्य
12.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड	पदेन सदस्य
13.	श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, जनरल मैनेजर, ऑचल कैटिल फीड, फैक्ट्री, किच्छा वाई पास रोड, रूद्रपुर, जनपद–उधमसिंनगर	सदस्य

2. समिति द्वारा शीरा नीति को सफल बनाये जाने हेतु विगत अनुभवों व वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप सुझाव दिये जायेगें। ।

(डा0 रणबीर सिंह)

संख्याः 04 / XXIII(1)/ 07/11/2007 तद्‌दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समिति के सभी सदस्य।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0 एस0 डुगरियाल)
अनु सचिव

(37)

722/XXIII/09/61/2009

संख्याः ~~/शीरा/देशी मदिरा निर्माण/~~ 2009

प्रेषक,

सचिव,
आबकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड ।

आबकारी अनुभाग देहरादून दिनाँकः 20 अक्टूबर, 2009

विषयः— देशी मदिरा निर्माण हेतु 70 प्रतिशत् अंश के शीरे का आबंटन किये जाने के सम्बंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 501/उत्पादन—वितरण (शीरा)/देशी मदिरा निर्माण/2009 दिनाँक 30.09.2009 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न आसवनियों की देशी मदिरा निर्माण हेतु शीरे की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व हित में 70 प्रतिशत् अंश के शीरे के स्टॉक से देशी मदिरा निर्माण हेतु अतिरिक्त शीरे का आबंटन किया जाये, जिसके लिए आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक को अधिकृत किया जाता है।

तदानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

अनुभाग [illegible]
ह0 [illegible]

20.X.09

(24)

संख्या: 429/XXIII/2013/04(42)/2011

वी० आर० टन्टा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

आबकारी अनुभाग   देहरादून: दिनांक: 20 जून, 2013

विषय :– शीरा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2012–13 व आगामी शीरा वर्ष 2013–14 में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

1. राज्य में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे हेतु निर्धारित नीति में आरक्षण के संदर्भ में निम्न तालिकानुरूप व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

शीरा वर्ष	देशी मदिरा हेतु आरक्षित शीरे की मात्रा (प्रतिशत में)	औद्योगिक एवं रासायनिक इकाईयों हेतु आरक्षित शीरे की मात्रा (प्रतिशत में)	स्वतंत्र रूप से बिक्री हेतु उपलब्ध शीरे की मात्रा (प्रतिशत में)
2012–13	10	70	20
2013–14	20	20	60
2014–15	20	20	60
2015–16	20	00	80

उपायुक्त (श्री..)
21/6/2013
उप आबकारी आयुक्त
... आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड

2. उत्तराखण्ड राज्य में अन्य राज्यों से शीरे के आयात पर ₹ 11/– प्रति कुन्तल तथा अन्य राष्ट्रों से आयातित शीरे पर ₹ 15/– प्रति कुन्तल की दर से प्रशासनिक शुल्क देय होगा।

3. यह भी निर्धारित किया जाता है कि :–

(i) राज्य के बाहर शीरे के निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क ₹ 20/– प्रति कुन्तल देय होगा।

(ii) राज्य में देशी मदिरा व शीरा आधारित रासायनिक व औद्योगिक इकाईयों हेतु आरक्षित शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक शुल्क ₹ 15/–प्रति कुन्तल देय होगा।

(iii) राज्य में निर्यात अंश के शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक शुल्क ₹ 20/– प्रति कुन्तल देय होगा।

25

4 कैटल फीड की शीरा आधारित इकाईयो को शीरा उपलब्ध कराने हेतु प्रथमतया औद्योगिक इकाईयों हेतु आरक्षित शीरा आवंटित किया जायेगा तदोपरांत ही स्वतंत्र रूप से बिक्री हेतु उपलब्ध शीरे की मात्रा से आवंटन किया जायेगा, अन्यथा राज्य के बाहर से शीरा आयात किये जाने की अनुमति नियमानुसार प्रदान की जायेगी।

भवदीय,

(बी० आर० टम्टा)
अपर सचिव

संख्या: 429 (1)/XXIII/2013–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, गन्ना विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी० आर० टम्टा)
अपर सचिव

(26)

संख्याः 444 / XXIII / 2013 / 04(42) / 2011

प्रेषक,

डी० एस० गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 27 **जून, 2013**

विषय :— **शीरा वर्ष 2012—13 एवं आगामी शीरा वर्ष 2013—14 हेतु शीरा नीति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—4540 दिनांक—21.06.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासनादेश संख्या—429 / XXIII / 2013 / 04(42) / 2011 दिनांक—20.06.2013 के बिन्दु संख्या—2 व 3 में इंगित प्रशासनिक शुल्क के प्रभावी होने की तिथि व अवधि के सम्बन्ध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीरा वर्ष 2012—13 एवं आगामी शीरा वर्ष 2013—14 हेतु शीरा नीति सम्बन्धी उक्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

भवदीय,

(डी० एस० गर्ब्याल)
सचिव

Hindi letter2013 P.k

उप आबकारी आयुक्त
(कार्मिक एवं अधिष्ठान)
कृते आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

Checked

संख्याः 354 XXIII/2016/04(42)/2011

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

285
08/07/16

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 06 जुलाई, 2016

विषय :— शीरा वर्ष, 2015—16 हेतु शीरा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि शीरा वर्ष, 2015—16 हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :—

1. राज्य व जनहित में शीरा नीति का निर्धारण वर्ष 2015—16 हेतु किया जा रहा है तथा आगामी वर्षों में तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक शासन द्वारा नयी नीति प्रख्यापित न कर दी जाय।
2. शीरा वर्ष 2015—16 में उत्पादित शीरे में से यथावश्यकता लगभग 10 प्रतिशत अंश शीरा औद्योगिक इकाईयों, जिनमें वरीयता के आधार पर सहकारी पशु आहार, यू0एल0डी0बी0 तथा अन्य पशु आहार निर्माताओं हेतु एवं आवश्यकतानुसार लगभग 20 प्रतिशत अंश देशी मदिरा निर्माताओं को आपूर्ति हेतु आरक्षित रखा जायेगा तथा शेष अंश स्वतंत्र रूप से बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। स्वतंत्र रूप से बिक्री के लिए आरक्षित शीरे के अंश में से प्रदेश में स्थित आसवनियों द्वारा शीरे के क्रय एवं उठान के लिए आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होगी।
3. उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के विक्रय पर रूपये 15/—प्रति कुन्तल की दर से प्रशासनिक शुल्क प्रभार देय होगा।
4. देशी मदिरा के उत्पादन हेतु वर्ष में प्रयुक्त शीरे की मात्रा के आगणन के दृष्टिगत आसवनियों द्वारा प्रतिमाह चीनी मिलों से शीरे का उठान न किये जाने पर चीनी मिलें शीरा नियन्त्रक की पूर्वानुमति से ऐसे शीरे को खुले बाजार (निर्यात या स्वतन्त्र रूप से बिक्री हेतु) में बेचने हेतु स्वतन्त्र होंगीं। आसवनियों द्वारा शीरा नियंत्रक को यह लिखित रूप से सूचित करना होगा कि वह सम्बन्धित माह में कितना—कितना शीरा किस—किस चीनी मिल से क्रय कर रहीं हैं।

09/7/2016
(डी. वी. सिंह)
अपर आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड

CS CamScanner

5. शीरा वर्ष 2015–16 के लिए घोषित शीरा नीति शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा आगामी शीरा वर्षों में तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक शासन द्वारा नयी नीति प्रख्यापित न कर दी गयी हो।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

5/7/2016

(डॉ०रणबीर सिंह)

अपर मुख्य सचिव

CS CamScanner

कार्यालय शीरा नियन्त्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या 5586/298–दो उत्पादन–शीरा / शीरा नीति / 2015–16 / दिनांक:देहरादून:दिनांक:जुलाई 26, 2016

आदेश

मैं बृजेश कुमार संत, शीरा नियन्त्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, शीरा नियंत्रण अधिनियम–1964 तथा तत्सम्बन्धित नियमावली में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग के शासनादेश संख्या 354/XXIII/ 2016/04(42)/2011 देहरादून:दिनांक 06,जुलाई, 2016 के क्रम में शीरा वर्ष 2015–16 के लिए उत्तराखण्ड की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में शीरा नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित आदेश देता हूँ:–

1 राज्य व जनहित में शीरा नीति का निर्धारण वर्ष 2015–16 हेतु किया जा रहा है तथा आगामी वर्षो में तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक शासन द्वारा नयी नीति प्रख्यापित न कर दी जाय।

2. शीरा वर्ष 2015–16 में उत्पादित शीरे में से यथावश्यकता लगभग 10 प्रतिशत अंश शीरा औद्योगिक इकाईयों, जिनमें वरीयता के आधार पर सहकारी पशु आहार ,यू0एल0डी0बी0 तथा अन्य पशु आहार निर्माताओं हेतु एवं आवश्यकतानुसार लगभग 20 प्रतिशत अंश देशी मदिरा निर्माताओं को आपूर्ति हेतु आरक्षित रखा जायेगा तथा शेष अंश स्वतन्त्र रूप से बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। स्वतंत्र रूप से बिक्री के लिए आरक्षित शीरे के अंश में से प्रदेश में स्थित आसवनियों द्वारा शीरे के क्रय एवं उठान के लिए आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होगी।

3. उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरे के विक्रय पर ₹ 15/–प्रति कुन्तल की दर से प्रशासनिक शुल्क प्रभार देय होगा।

4. देशी मदिरा के उत्पादन हेतु वर्ष में प्रयुक्त शीरे की मात्रा के आगणन के दृष्टिगत आसवनियों द्वारा प्रतिमाह चीनी मिलों से शीरे के उठान न किये जाने पर चीनी मिलें शीरा नियन्त्रक की पूर्वानुमति से ऐसे शीरे को खुले बाजार (निर्यात या स्वतन्त्र रूप से बिकी हेतु) में बेचने हेतु स्वतन्त्र होगी। आसवनियों द्वारा शीरा नियन्त्रक को यह लिखित रूप से सूचित करना होगा कि वह सम्बन्धित माह में कितना–कितना शीरा किस–किस चीनी मिल से कय कर रही है।

5. शीरा वर्ष 2015–16 के लिए घोषित शीरा नीति शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा आगामी शीरा वर्षो में तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक शासन द्वारा नयी नीति प्रख्यापित न कर दी गयी हो।

अतः उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(बृजेश कुमार संत)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

कमशः–दो पर–

87-5601
/ 298–दो उत्पादन–शीरा/शीरा नीति/2015–16 /तददिनांक:देहरादून
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
र मुख्य सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 354/XXIII/2016/04(42)/2011
रादून दिनांक 06,जुलाई, 2016 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
र सचिव , गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, शासन।
ना आयुक्त, उत्तराखण्ड।
पर आबकारी आयुक्त/प्रशासन/विभागीय, उत्तराखण्ड ।
द्योग निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
बन्धक, निदेशक, उत्तराखण्ड, को–ओपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड, देहरादून।
त्त नियन्त्रक, आबकारी मुख्यालय, देहरादून।
मस्त संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, देहरादून।
मस्त जिला आबकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड।
हाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड शुगर्स, देहरादून।
समस्त प्रभारी अधिकारी आसवनियॉं/उप आबकारी निरीक्षक चीनी मिलें, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ ।
समस्त आसवक, आसवनियॉं उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
समस्त अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक चीनी मिलें उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
समस्त केटिल फीड्स इकाईयाँ एवं तम्बाकू निर्माता, इकाईयॉं उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ ।
गार्ड फाईल।

कार्यालय आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड-देहरादून

(बृजेश कुमार संत)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

CamScanner